



प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक-12-03-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के आवश्यक व्ययों के वहन (गैर वेतन) हेतु चतुर्थ किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3844/डा०रा०म०लो०इ०मे०सा०/वित्त एवं लेखा/2026, दिनांक 16.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के आवश्यक व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 25000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ किस्त की धनराशि ₹0 6250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक-15-04-2025 द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि ₹0 6250.00 लाख तथा शासनादेश दिनांक-11-08-2025 द्वारा द्वितीय किस्त की धनराशि ₹0 6250.00 लाख एवं शासनादेश दिनांक 24-11-2025 द्वारा तृतीय किस्त की धनराशि ₹0 6250.00 लाख अवमुक्त की गयी, इस प्रकार अब तक कुल धनराशि ₹0 18750.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत चतुर्थ किस्त की धनराशि ₹0 6250.00 लाख (रुपये बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-35/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
 5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 6. धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 62,50,00,000 (रुपये बासठ करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050325 डा. राममनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के FINRMS सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-357/दस-2025-26 दिनांक 10-03-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या-39/2026/1/1263935/2026/004-71-2002-002-5-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।